मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
विभागीय संरचना

विधि मंत्री — डॉ. नरोत्तम मिश्रा

सचिवालय

1.	प्रमुख सचिव	श्री के.डी.खान	उच्च न्यायिक सेवा
2.	सचिव (विधि)	श्री अनिल वर्मा	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री जे.एम.चतुर्वेदी	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री आर.के.वर्मा	उच्च न्यायिक सेवा
3.	अतिरिक्त सचिव	श्री वीरेन्दर सिंह	उच्च न्यायिक सेवा (नई दिल्ली)
		श्री एस.एस.गर्ग	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री ए.के.पालीवाल	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री ए.के.सिंह	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री योगेश कुमार गुप्ता	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री एच.एस.यादव	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री राजीव म.आपटे	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री राजेश यादव	सचिवालयीन सेवा
4.	उप सचिव	श्री ए. पी. खेर	सचिवालयीन सेवा
		श्री एच. के. पेटकर	सचिवालयीन सेवा (जबलपुर)
		श्री परितोष कुमार तिवारी	सचिवालयीन सेवा
5.	अवर सचिव	श्रीमती सुशीला परते	सचिवालयीन सेवा
		श्री आर. बी. दामड़े	सचिवालयीन सेवा
		श्रीमती सामवती बरला	सचिवालयीन सेवा (जबलपुर)
		सुश्री क्षमा तिवारी	सचिवालयीन सेवा
		श्रीमती क्षिप्रा देशमुख	सचिवालयीन सेवा
		सुश्री प्रीतेश्वरी तिवारी	सचिवालयीन सेवा
		श्री महेन्द्र जैन	सचिवालयीन सेवा (ग्वालियर)
7.	स्टाफ आफिसर	श्री रजनी पंचौली	सचिवालयीन सेवा
6.	लेखा अधिकारी	सुश्री उमा तिवारी	वित्त एवं लेखा सेवा

———————

विधि विभाग नियमावली के अनुसार विधि विभाग का कार्य तीन भागों में अर्थात् 'अ', 'ब' तथा 'स' में बंटा हुआ हैः–

भाग–अ

इस विभाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा, विधीक्षा शाखा का कार्य होता है :–

प्रारूपण शाखाः– इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

विधीक्षा शाखा :– इस शाखा में शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त नियमों, विनियमों, उपविधियों, अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधान का परीक्षण एवं परिमार्जन किया जाता है।

भाग–ब

इस शाखा में न्याय प्रशासन से संबंधित कार्य होता हैः–

उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति को छोड़कर रजिस्ट्री में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना तथा शासकीय अधिवक्ताओं एवं विशेष अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है. यह शाखा मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की प्रशासकीय शाखा के रूप में कार्य करती है।

भाग–स (1)

इस भाग में मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणों के अभियोजन एवं प्रतिरक्षण का कार्य होता है, इस भाग में बंदियों की दया याचिका, समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों की वापसी एवं शासकीय सेवकों के विरूद्ध अभियोजन का कार्य भी किया जाता है।

सामान्यतः उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से महाधिवक्ता सहित विधि पदाधिकारीगण पैरवी करते है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन स्टेंडिंग कौंसिल राज्य के लिये नियुक्त है तथा विभिन्न कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं से भी पैरवी कराई जाती है। नई दिल्ली में इस विभाग के अतिरिक्त सचिव का कार्यालय स्थापित किया गया है. जो आवश्यक प्रकरणों में कार्यवाही करते है।

भाग–स (2)

परामर्श शाखा.– इस शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरण में मत देने का कार्य किया जाता है. उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अंतिम मत दिया जाता है।

विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. उच्चतर न्यायिक सेवा एवं निम्नतर न्यायिक सेवा,
2. राज्य विधिक सेवा,
3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा,

विधि विभाग के अधीन कार्यरत बोर्ड एवं अधिकरण

1. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
2. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870
3. लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1949
4. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
5. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
7. हिन्दू अव्यस्कता अभिभावकत्व अधिनियम, 1956
8. हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956
9. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
11. विशेष विवाह अधिनियम, 1869
12. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
13. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
14. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939
15. धर्मान्तरिती विवाह अधिनियम, 1866
16. ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
17. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
18. सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882
19. संविदा अधिनियम, 1872
20. भागिता अधिनियम, 1932

21. विनिर्दिष्ट अनुतोष (स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट) अधिनियम, 1963
22. प्रांतीय शोध क्षमता अधिनियम, 1920
23. न्यास अधिनियम, 1882
24. शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
25. एडमिनिस्ट्रेटर्स–जनरल एक्ट, 1963 (1963 का क्र. 45)
26. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
27. शपथ अधिनियम, 1969
28. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
29 मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गो के लिए राज्य विधिक सलाह अधिनियम, 1976
30. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
31. नोटरीज अधिनियम, 1952
32. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971
33. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
34. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
35. पंचाट (आर्बीट्रेशन) अधिनियम, 1940 एवं आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलियेशन एक्ट, 1996
36. परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम, 1963
37. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983
38. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
39. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983
40. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008
41. समस्त ऐसे अधिनियम जो अन्य किसी विभाग के प्रशासन में न हो,

अध्याय–दो
बजट

वित्त वर्ष 2012–13 में विभाग को मांग संख्या 29 के अंतर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृत हैः–

(आंकडे हजार रूपये में)

संक्षिप्त विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2012–2013		
	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
एक– राजस्व अनुमान			
2014 न्याय प्रशासन			
(102) उच्च न्यायालय	6,49,50	0	6,49,50
(भारित)	76,90,78	0	76,90,78
(105) सिविल और सत्र न्यायालय	5,11,94,64	0	5,11,94,64
(भारित)	3	0	3
(114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता	13,20,67	0	13,20,67
(भारित)	1	0	1
(800) अन्य व्यय	10,27,46	0	10,27,46
मतदेय योग– लेखाशीर्ष 2014	**5,41,92,27**	**0**	**5,41,92,27**
(भारित)	**76,90,82**	**0**	**76,90,82**
2015–निर्वाचन			
(102) निर्वाचन अधिकारी	12,75,50	0	12,75,50
(103) निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	38,16,01	0	38,16,01
(105) संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार	2,45,85	0	2,45,85
(106) राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार	3,23,50	0	3,23,50
(भारित)	3,00	0	3,00
(108) मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	10,50,00	0	10,50,00
योग लेखाशीर्ष 2015 (मतदेय)	**67,10,86**	**0**	**67,10,86**
(भारित)	**3,00**	**0**	**3,00**
2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं			
(090) सचिवालय	11,54,61	0	11,54,61
(091) संलग्न कार्यालय	2,36,06	0	2,36,06
योग– लेखाशीर्ष 2052	**13,90,67**	**0**	**13,90,67**
2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
(60) अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
(200) अन्य कार्यक्रम	12,00,00	3,91,00	15,91,00

योग लेखाशीर्ष 2235	12,00,00	3,91,00	15,91,00
योग एक राजस्व अनुभाग	**6,34,93,80**	**3,91,00**	**6,38,84,80**
(भारित)	**76,93,82**	**0**	**76,93,82**
दो–पूंजी अनुभाग			
7610–सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
(202)–मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम	50,00	0	50,00
योग–लेखाशीर्ष 7610	**50,00**	**0**	**50,00**
योग–दो–पूंजी अनुभाग	**50,00**	**0**	**50,00**
योग माँग संख्या–29	**6,35,43,80**	**3,91,00**	**6,39,34,80**
(भारित)	**76,93,82**	**0**	**76,93,82**

वित्त वर्ष 2012–13 हेतु अभिभाषक संघ के पुस्तकालयों के लिए पुस्तके क्रय करने हेतु रू. 10,00,000/– का प्रावधान किया गया है जिसमें 31 दिसम्बर 2012 तक अभिभाषक संघों को निम्नानुसार अनुदान दिया जा चुका है।

क्र.	**अभिभाषक संघ का नाम**	**राशि**
1.	जिला अभ्भिाषक संघ मुरैना	25,000/–
2.	अभिभाषक संघ महिदपुर जिला उज्जैन	25,000/–
3.	अभिभाषक संघ, पवई, जिला पन्ना	25,000/–
4.	अभ्भिाषक संघ, सेंधवा, जिला बड़वानी	25,000/–
	योग–	1,00000

अध्याय–तीन

कार्य एवं उपलब्धियाँ

न्यायिक शाखा (एक) –

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये उच्च न्यायालय, जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इंदौर में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपतिगण के 43 पद स्वीकृत है। वर्तमान में उच्च न्यायालय में 34 न्यायाधिपतिगण कार्यरत हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय के अतिरिक्त दंड न्यायालयों के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्यरत है। नियमति न्यायालयों के अतिरिक्त राज्य में माध्यस्थम अधिकरण, सहकारिता अधिकरण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय भी कार्यरत हैं। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने

वाले मामलों का निराकरण किये जाने के लिए विशेष न्यायालय जैसेः–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, स्वापक एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण किये जाने के लिए विशेष सेशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रेल्वे अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किये जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय पृथक से स्थापित है। ऐसे न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय भी विशेष मामलों के निराकरण के लिए राज्य में कार्यरत है।

नवसृजित सिविल जिला सिंगरौली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सिंगरौली जिले में सेशन न्यायालय को उक्त अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में विर्निदिष्ट किया गया है।

रामपुर नैकिन जिला सीधी में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 का न्यायालय स्थापित किया जा चुका है। तहसील मुख्यालयों बड़नगर, देवसर, त्यौथर, सारंगपुर, बीना, बुढ़ार, सौंसर, बण्डा, इटारसी, हटा, निवास, निवाड़ी, गोहद, भीकनगांव, धरमपुरी महिदपुर, जिला मुख्यालय बुरहानपुर में ए.डी.जे. के एक–एक एवं जिला मुख्यालय सतना में ए.डी.जे. के दो न्यायालय स्थापित किये जाने संबंधी अधिसूचना म.प्र.शासन राजपत्र दिनांक 8.11.2012 में प्रकाशित की जा चुकी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बृजमोहनलाल विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य टी.सी.(सिविल) क्र. 22/2001 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2012 के अनुपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 52 पद तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के 86 तथा इनके अमले के 1070 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 (प्रवेश स्तर) के 38 पदों में से 35 की नियुक्ति हो चुकी है। शेष से रिक्त पदों के विरूद्ध अनुपूरक सूची के उम्मीदवारो की नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है।

सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 (प्रवेश स्तर) के रिक्त 94 पदों पर चयन कर लिया गया है और नियुक्ति संबंधी कार्यवाही जारी है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत 43 विशेष न्यायालय स्थापित किये गये है। नवसृजित सिविल जिला अशोक नगर, बुरहानपुर, उमरिया, अनूपपुर, एवं सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न एवं अलीराजपुर में उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विशेष अधिसूचित किया गया है तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अपर जिला न्यायाधीश के 3 पदों पर बार से सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति की गई है।

प्रदेश में कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 36 फास्ट ट्रेक न्यायालयों का कार्यकाल 31.03.2013 तक के लिए बढ़ाया गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रकरणों के निराकरण हेतु भोपाल एवं जबलपुर के दो अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किये गये है।

विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु प्रदेश में 8 विशेष न्यायालय (भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर प्रत्येक स्थान पर दो–दो न्यायालय) स्थापित किये गये है।

इस वर्ष न्यायिक अधिकारीयों की वरिष्ठता सूची (प्रावधिक) जारी की गई है।

न्यायिक शाखा(दो):

1. वकील पंचायत में की गई घोषाणाओं के अनुपालन में उच्च न्यायालय के समक्ष म0प्र0 शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले विधि पदाधिकारियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाकर महाधिवक्ता का 30,000/—रू. से बढ़ाकर 70,000/—रू, अति0 महाधिवक्ता का 25,000/—रू से 55,000/—रू, उप महाधिवक्ता का 23,000/—रू से 50,000/— रू, शासकीय अधिवक्ता का 20,000/—रू से 35,000/— रू, और उप शासकीय अधिवक्ता का 17,000/—रू0 से 30,000/— रू किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थायी अधिवक्तागण को मासिक रिटेनर फीस 8,000/— रू0 से बढ़ाकर रू0 15,000/— की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता को 2,000/— रू0 प्रतिदिन प्रति प्रकरण अधिकतम रू0 7,000/— के स्थान पर रू0 5,000/— एवं अधिकतम रू0 15,000/— प्रतिदिन की गई है। कनिष्ठ अधिवक्ता को 1,000/— रू0 प्रतिदिन अधिकतम रू0 3,000/— के स्थान पर 250/— प्रतिदिन प्रति प्रकरण एवं अधिकतम रू0 7,500/— की गई है।

2. इसी प्रकार जिला एवं सत्र न्यायालयों में पैरवी करने वाले शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक और अति0 शासकीय अभिभाषक/अति0 लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की गई है। प्रतिदिन 1 घंटे से कम काम करने का निर्धारित शुल्क 250/— से बढ़ाकर 400/— रू0 एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये 500/—रू से बढ़ाकर 800/— रू0 प्रति माह

3. अधिकतम देय शुल्क 10,000/— से बढ़ाकर 20,000/— रू0 किया गया है और अति0 शासकीय अभिभाषक/अति0 लोक अभियोजक को प्रतिमाह देय शुल्क 9,000/—रू0 से बढ़ाकर 18,000/—किया गया है उन्हें प्रतिमाह दिये जाने वाली रिटेनर फीस 2,000/— रू0 से बढ़ाकर 3,000/— रू0 किया गया है। शासकीय अभिभाषक/पैनल लायर्स जो शासकीय कार्य हेतु शासकीय अभिभाषक/अति0 शासकीय अभिभाषक की अनुपस्थिति में कार्य करते है उन्हें निर्धारित शुल्क 200/— से बढ़ाकर रू0 350/— रू0 एक घंटे से कम कार्य करने पर तथा एक घंटे से अधिक कार्य करने पर निर्धारित शुल्क 400/— से बढ़ाकर 650/— रू0 प्रतिदिन किया गया है। सत्र न्यायालयों में अकिंचन अभियुक्तों का पक्ष समर्थन हेतु निर्धारित शुल्क 400/— से बढ़ाकर 650/— रू0 और प्रति प्रकरण 3,000/— रू0 से बढ़कार 4,500 रू0 किया गया है।

4. इसी प्रकार वकील पंचायत में की गई घोषणा के अनुपालन में राज्य विधि आयोग को पुनर्जीवित किये जाने का प्रस्ताव विधि विभाग के द्वारा तैयार किया जाकर वित्त विभाग को सहमति के लिये भेजा गया है।

5. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया जाकर राज्य के व्यय पर विधिक सेवा उपलब्ध कराये जाने की व्यक्ति की वार्षिक आय रू0 50,000.00 (रूपये वचास हजार) से बढ़ाकर रू0 1,00,000.00 (रूपये एक लाख) की गई है जिसके परिणामस्वरूप अधिक लोगों को राज्य के व्यय पर विधिक सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

6. अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2012 के द्वारा अधिवक्ताओं के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तृति पत्र में अधिवक्ता कल्याण निधि शुल्क में वृद्धि की जाकर 10/—रू0 के स्थान पर 20/—रू0 और 20/— रू0 के स्थान पर 50/— रू0 किया गया है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला शुल्क अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु काम आयेगा।

7. माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप न्यायालय फीस (म.प्र. संशोधन) अधिनियम,2012 पारित किया गया है जिसके अनुसार एम.पी.सी.टी. के अपील प्रकरणों में पूर्व देय न्यायालय फीस 10 प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत अथवा रू. 1,00.000/— जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपकी टीप दिनांक 04.01.2013 के संदर्भ में लेख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 12.08.2012 को आयोजित घोषणाओं के पालन हेतु स्कीम का प्रारूप अनुमोदन हेतु नस्ती प्रमुख सचिव वित्त विभाग को दिनांक 19.11.2012 को भेजी गई है, वित्त विभाग से नस्ती प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही हेतु लिखा जायेगा।

प्रारूपण शाखा

इस भाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा एवं विधीक्षा शाखा का कार्य होता है :—

प्रारूपण शाखाः— इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश प्रारूपित करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2. प्रारूपण शाखा में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता हैः—

(1) संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर उसके अनुसमर्थन का संकल्प राज्य विधान सभा से पारित कराना।
(2) विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजने का कार्य।
(3) राज्य विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन।
(4) विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार ।
(5) राजपत्र में छपने वाले अधिनियमों एवं अध्यादेशों के त्रुटिपूर्ण पाठ का शुद्धि—पत्र बनाने का कार्य।
(6) केन्द्रीय अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में पुनर्प्रकाशन का कार्य।

3. 31 दिसम्बर, 2012 तक विभिन्न विभागों के निम्न विधेयकों एवं अध्यादेशों के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराये गये—

अध्यादेश — 07

विधेयक — 38

4. वर्ष 2012 में कुल 7 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये ।

5. वर्ष 2012 में कुल 38 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर, 2012 तक 34 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

6. वर्ष 2012 तक की स्थिति में निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित हैंः—

1. मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009 (क्रमांक 26 सन् 2009),
2. मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियाँ तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 03 सन् 2010)
3. मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन 2010)
4. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011)

पुस्तकालय शाखाः—

विधि और विधायी कार्य विभाग का पुस्तकालय विधि के क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, इन्दौर, ग्वालियर, होलकर राज्य तथा सी.पी. एण्ड बरार, भोपाल रियासत के पुराने साहित्य का भी संकलन उपलब्ध है।

पुस्तकालय में मुख्यतः विधि परामर्शी कार्य हेतु व अन्य नस्तीयों के निराकरण हेतु पुस्तकों का आदान—प्रदान किया जाता है। विभाग के अलावा अन्य विभागों, अधिकरणों आदि को संदर्भ सेवा प्रदाय की जाती है। इसके साथ ही म.प्र. राज्य तथा केन्द्रीय अधिनियमों तथा नियमो में संशोधन का कार्य मुख्य रूप से होता है। शाखा द्वारा म.प्र. अधिनियमों का इंडेक्स कम्प्यूटर में तैयार किया जाकर केन्द्रीय अधिनियमों का कम्प्यूटर में इन्डेक्सीकरण का कार्य चल रहा है।

अभियोजन शाखा

लोकायुक्त से संबंधित प्रकरणों की जानकारीः–

लोकायुक्त से संबंधित अभियोजन स्वीकृति के कुल **167** प्रकरण प्राप्त हुए तथा वर्ष 2011 के शेष एवं 2012 की कुल 131 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति आदि जारी किए गए शेष 66 प्रकरण प्रशासकीय विभाग/विधि विभाग में लंबित हैं।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों के प्रकरणों की जानकारीः–

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कुल **13** प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए तथा 2011 के शेष एवं 2012 के कुल 06 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए तथा शेष **08** प्रकरण प्रशासकीय विभाग/विधि विभाग में लंबित हैं।

प्रशासकीय विभाग/जिले/प्रायवेट आवेदन से संबंधित प्रकरणों की जानकारीः–

वर्ष 2012 में प्रशासकीय विभाग/जिले/प्रायवेट आवेदन से संबंधित **26** प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से **26** प्रकरणों में आदेश जारी किए गए।

प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित प्रकरणों की जानकारीः–

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित 38 प्रकरण मत हेतु प्राप्त हुये जिनमें से सभी 38 प्रकरणों में अभिमत दिया गया एवं 06 प्रकरण आदेश हेतु प्राप्त हुये जिनमें सभी प्रकरणों में प्रत्याहरण आदेश जारी किये।

बंदियों से संबंधित प्रकरणों की जानकारीः–

जेल मेन्युअल के नियम 361–362 एवं 775 के अंतर्गत समयपूर्व मुक्ति हेतु कुल **28** प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से **26** प्रकरणों में आदेश जारी किए गए, एक प्रकरण गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, जेल विभाग को प्रेषित किया गया एवं एक प्रकरण लंबित है।

मत शाखा

मत शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरण में मत देने का कार्य किया जाता है। उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अंतिम मत दिया जाता है। परिमार्जन हेतु विधीक्षा शाखा से प्राप्त नस्तियों में भी आवश्यक विधिक मत शाखा द्वारा यथानिर्देशित प्रदान किये जाते है।

मत शाखा में शासन के विभिन्न विभागों से 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक कुल 467 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 455 प्रकरणों में मत दिया जाकर संबंधित विभागों को भेजे गये हैं, तथा शेष प्रकरणों पर अभिमत दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुवाद शाखा (मुख्य विधायन)

मध्यप्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों, महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना तथा उनके शुद्धि–पत्र बनाने आदि का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत दया याचिकाओं और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय विधेयकों के अंग्रेजी पाठ तैयार करने का कार्य भी इस शाखा को सौंपा गया है।

1 जनवरी, 2012 से 31 दिसंबर, 2012 तक विभिन्न विभागों के 38 विधेयकों, 02 शुद्धिपत्रों, 07 अध्यादेशों के अंग्रेजी प्रारूपों का अंतिम रूप से हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया।

हिन्दी विधायी समिति शाखा

मध्यप्रदेश शासन हिन्दी विधायी समिति शाखा को, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मध्यप्रदेश के मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश की घटक इकाइयों में प्रवृत्त अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश पर विस्तारित तथा मध्यप्रदेश द्वारा संशोधित /समायोजित केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने और उनका राजपत्र में पुनः प्रकाशन करने का कार्य सौंपा गया है।

विधीक्षा शाखा (हिन्दी) (अधीनस्थ विधायन) शाखाः—

इस शाखा में अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत नियमों, अधिसूचनाओं, उपविधियों, विनियमों, आदेशों तथा भर्ती नियमों के हिन्दी परिमार्जन का कार्य किया जाता है।

1 जनवरी, 2012 से 31 दिसंबर, 2012 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 255 आदेशों/अधिसूचनाओं/ नियमों/भर्ती नियमों का परीक्षण कर उनका परिमार्जित हिन्दी पाठ उपलब्ध कराया गया है।

विधीक्षा शाखा :

विधीक्षा शाखा में मुख्य रूप से प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों, उप विधियों एवं विनियमों के प्रारूपों के अंग्रेजी पाठ का परिमार्जन किया जाता है तदोपरांत हिन्दी पाठ के साथ नस्ती प्रशासकीय विभाग को वापिस की जाती है।

वर्ष 2012 में कुल 366 नस्तियां परिमार्जन हेतु दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तक प्राप्त हुई थी, जिनमें से 361 नस्तियों में अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन कर उनके हिन्दी अनुवाद के साथ नस्ती प्रशासकीय विभागों को वापिस की जा चुकी है तथा शेष 05 नस्तियों में हिन्दी अनुवाद की कार्यवाही चल रही है।

स्थापना शाखाः

विधि और विधायी कार्य विभाग की इस शाखा में विभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं का संधारण, नियुक्ति, पदोन्नति तथा दण्डाज्ञा आदि जनित कार्यवाही यथासमय की जाती है।

विधि और विधायी कार्य विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों का सेटअप तथा संयुक्त पदक्रम सूची एक ही है तथा प्रतिवर्ष संयुक्त पदक्रम सूची का प्रकाशन किया जाता है।

विभाग की स्थापना में 09 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इन प्रकरणों के निराकरण की समय—सीमा निश्चित नही है।

याचिका शाखा

याचिका शाखा में निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाते है :—

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा या शासन के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने की कार्यवाही की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के विरूद्ध पारित निर्णयों के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका के संबंध में समुचित कार्यवाही तथा ऐसी कार्यवाही करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर मत दिया जाता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय मे राज्य शासन की ओर से तथा राज्य शासन के विरूद्ध दायर होने वाले प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी करना तथा उच्चतम न्यायालय में फीस आदि का भुगतान करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है ।

वित्त वर्ष 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न किये गयेः—

शाखा में प्राप्त कुल प्रकरण	प्रकरणों का विवरण	निपटाये गये प्रकरण	लंबित प्रकरण
1.	**माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरणः**		
	क— विशेष अनुमति याचिका दायर की गई जिनकी संख्या	384	निल
2.	**माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियरः**		
156	क— अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये, जिनकी संख्या	156	—''—
686	ख— जिन प्रकरणों में पुर्नविलोकन याचिकाएं एवं प्रस्तुत रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये जिनकी संख्या	686	—''—
493	ग— जिन प्रकरणों में विधि सम्मत अभिमत दिये जाने के उपरांत नस्तियाँ लौटाई गई, जिनकी संख्या,	493	—''—
8119	घ— जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाऐं) जिनकी संख्या	8119	—''—
3.	**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयें में प्रतिरक्षण हेतु प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरणः**		
78	क— जिन प्रकरणों मे अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये जिनकी संख्या—	78	—''—
21	ख— केवियट दायर करने के संबंध में महाधिवक्ता म.प्र. को निर्देश जारी, जिनकी संख्याः	21	—''—
4.	**केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणः**		
24	क— राज्य सरकार की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये गये, जिनकी संख्या	24	—''—
5.	**शासकीय अधिवक्ताओं को फीस का भुगतानः**		
21	क— समय—समय पर प्रकरण में अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान की कार्यवाही की गई, प्रकरणों की संख्या	21	—''—
6.	**विविध एवं अन्य प्रकरणों की संख्या**	**2449**	—''—
कुल योग— 12431		**12431**	**निरंक**

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया।

सिविल शाखा :

सिविल शाखा में मुख्य रूप से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में लंबित सिविल मामलों में अपील/रिवीजन/याचिका पेश की जाती है तथा राज्य के विरूद्ध लंबित मामलों में प्रतिरक्षण के आदेश जारी किये जाते है।

1—1—2012 से 31—12—2012 तक की अवधि में निम्न कार्य किये गये हैः—

1— मान0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष— 178 मामलों एस.एल.पी. पेश किये जाने के आदेश जारी किये गये।

2— माध्यस्थम अधिकरण एवं अन्य राज्यों के समक्ष 123 मामलों में प्रतिरक्षण आदेश एवं अधिवक्ता नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

3— मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मान. उच्च न्यायालय बैंच ग्वालियर एवं इंदौर के द्वितीय अपील, अपील पुनरीक्षण याचिका, रिट याचिका एवं रिट अपील— 735 एवं पक्ष—समर्थन—275 पेश करने के आदेश जारी किये गये।

आपराधिक शाखाः

1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक किये गये कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः—

अ. उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहीः

सरल क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष अनुमति याचिका प्रस्ताव पर परीक्षण किया गया।	155
2.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका /अपील प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	169
3.	महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर उप महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय/ आदेशों जिन्हे नस्तिबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया था। (रिपोर्ट प्रकरण) जो परीक्षण के उपरांत नस्तिबद्ध किये गये।	2667

ब. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर के समक्ष कार्यवाहीः

सरल क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
4.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा अपील/ दांडिक पुनरीक्षण प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी किये गये।	1223
5.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	92
6.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही।	1574
7.	अन्य प्रपत्र एवं स्थाई अधिवक्ताओं की फीस पर की गई कार्यवाही।	870

नोटः— वर्ष के अंत में अपील प्रस्तावों पर परीक्षण के लिये लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक है।

भाग–एक
मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल

म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (अधिनियम क्रमांक 29/1983) 1 मार्च, 1985 को प्रभावशील हुआ तथा उसी दिन अधिकरण का गठन हुआ। अधिकरण के अध्यक्ष जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रह चुकें है एवं न्यायिक सदस्य (वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ जिला न्यायाधीश) एवं तकनीकी सदस्य लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वर्तमान अथवा निवर्तमान प्रमुख/मुख्य अभियंता होते हैं। म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण का कोई अधिनस्थ कार्यालय नहीं है और न ही कोई मण्डल/उपक्रम आदि इसके अंतर्गत आते हैं।

महत्वपूर्ण ऑकड़े निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	पूर्व वर्ष की शेष निर्देश याचिका की संख्या	वर्ष में पंजीकृत निर्देश याचिका की संख्या	पुर्नस्थापित निर्देश याचिका की संख्या	कुल प्रकरण	वर्ष में निराकृत प्रकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष की शेष विविध याचिका	वर्ष में पंजीकृत विविध याचिका	निराकृत विविध याचिका (MJC)	दि. 31.12.12 को शेष विविध याचिका	वर्ष में पंजीकृत प्रकरणों का वाद मूल्यांकन (रू.)	दावा/प्रतिदावा में प्राप्त कुल न्याय शुल्क (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2012	234	74	30	338	30	8	62	55	15	3,48,93,60,492.00	60,66,020.00

भाग–दो
वर्ष 2012–13 का आय व्यय बजट(एक दृष्टि में):

वर्ष	बजट आंबटन	व्यय	
2012–13	2,40,11,000,00	1,69,50,000,00 (दिसम्बर, 2012 की स्थिति में)	आयोजनेत्तर

भाग–तीन
राज्य योजनाऐं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

(अ)	राज्य योजनाऐं	निरंक
(ब)	केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	निरंक
(स)	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं	निरंक
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं	निरंक
(इ)	अन्य योजनाऐं	निरंक

भाग–चार
सामान्य प्रशासन विषय

(जांच समितियाँ, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाए) निरंक

भाग—पांच

अभिनव योजना

(विभाग द्वारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो उसको दर्शाया जाए) निरंक

भाग—छः

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाये) निरंक

भाग—सात

सारांश

अधिनियम के अधीन विवाद से अभिप्रेत है रू.50,000/— या उससे अधिक मूल्य के किसी दावे से संबंधित कोई ऐसा विवाद जो किसी संकर्म संविदा (वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट) या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत हुआ हो तथा जिनका एक पक्षकार राज्य सरकार अथवा पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम है, का निराकरण किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणः

विभागीय सरचना — विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6, 9, 11—(अ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 3, 4, 14 एवं 17 के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया हैं, जिसके मुख्य संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं सदस्य सचिव उच्च स्तर न्यायिक सेवा के सदस्य (जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो) होते हैं।

राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर वर्ग, गरीब, असहाय तथा पीड़ित व्यक्तियों को समानता व समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराने के लिये निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा (सहायता/सलाह) उपलब्ध करायी जाती है । शीघ्र सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है साथ ही कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :—

1. विधिक सहायता/सलाह
2. लोक अदालत
3. विधिक साक्षरता
4. पारिवारिक विवाद समाधन केन्द्र
5. जिलाविधिक परामर्श केन्द्र
6. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता
7. विवाद विहीन ग्राम
8. लीगल एड क्लीनिक
9. महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम
10. श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ कार्यक्रम
11. लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत ।

योजनायें एवं कार्यक्रम :—

(1) विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) योजना :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है ।

विधिक सहायता/सलाह कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति विधिक सहायता/ सलाह प्राप्त कर सकता है :—

1— जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है,
2— ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
3— महिला, बालक हो,
4— ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या असमर्थ है निर्योग्य है ।

निर्योग्य का तात्पर्य है :—

(क) अन्धापन (ख) कमजोर दिखाई देना (ग) जिसे कुष्टरोग है (घ) कम सुनाई देना (ड.) जो चल फिर नहीं सकता (च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।
5— ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
6— ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है (फैक्टरी,, कम्पनी में काम करता है)
7— ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है ,
8— ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी 1,00,000/—(रूपये एक लाख) से ज्यादा नहीं है।

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है :—

विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा है या चलाना चाहता है उसे मामले में लगने वाली :—

1— कोर्ट फीस खर्च 2. तलवाना 3. टाईपिंग/फोटोकांपी 4 गवाह का खर्चा 5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च 6. निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च 7— वकील फीस

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी नयायालयों/ अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है ।

(2) लोक अदालत योजना :—

लोगों को शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के

न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है । मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती है :—
(1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

(2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए है (प्रीलिटिगेशन)

लोक अदालत के लाभ :—

1— पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है ।
2— समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है ।
3— लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्टफीस 10 प्रतिशत काटकर शेष वापस हो जाती है ।
4— लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/ अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती ।
5— मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है ।

(3) विधिक साक्षरता शिविर योजना :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम, 1999 तैयार की गई है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रहते है । विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गो के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनके मौलिक एवं वैधनिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूर,बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ साथ भरण पोषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयक नुक्कड़ नाटक तैयार किये गये है, जिनका जेसीज क्लब, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब ,गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों के सहयोग से मंचन कराया जाकर लोगों को विधिक जागरूक बनाया जाता है । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा (सहायता/सलाह), लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि योजनाओं से संबंधित गीत संगीत, आडियों कैसेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा पम्पलेट्स, पोस्टर , हैण्डबिल्स, लिट्रेचर आदि वितरित कर वृहद प्रचार प्रसार किया जाकर अन्य वर्गो के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी जागरूक बनाया जा रहा है ।

(4) विवाद विहीन ग्राम योजना :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000'' विरचित की गई है, ''विवाद विहीन ग्राम'' का तात्पर्य ऐसे गांवों से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो उसे आपसी सद्भाव, समझौते या लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटा लिया गया हो । यह कार्य जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा किया जाता है ।

(5) पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :— मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001'' विरचित की गई है । इस योजना के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद जैसे पारिवारिक सम्पत्ति, भरण पोषण, बच्चों की

सुरक्षा/देखभाल आदि विवादों का निपटारा किया जाता है । इस प्रकार के पारिवारिक विवादों का निदान सद्भावपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है । इस संबंध में जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है । इन केन्द्रों द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पंहुचती है ।

(6) जिला विधिक परामर्श केन्द योजना :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा '' जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, 2001 बनाइ गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत है । जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते है या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है।

(7) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, 2001'' बनाई गई है । यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिस्तेदार द्वारा न्यायालय में बैठे मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकता है।

(8) लीगल क्लीनिक :—

यह क्लीनिक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी दोनों खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर एवं जिला न्यायालयों में कार्यरत है जिसमें निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन कार्य दिवस में योग्य अभिभाषक बैठकर लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देते है ।

(9) महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम—

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई'' का गठन किया गया है । यह इकाई महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है ।

(10) श्रम , विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है । कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरूद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है। वह न्याय श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ कार्यक्रम :— प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है ।

(11) लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थाई लोक अदालत :—

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22—बी के अंतर्गत लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण के लिये पृथक से स्थायी लोक अदालतों का गठन प्रदेश के 50 सिविल जिला न्यायालयों में किया गया है। लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जो वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये यातायात सेवा या डाक, तार या टेलीफोन सेवा या किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत , प्रकाश या जल का प्रदाय, या सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली या अस्पताल या औषधालय सेवा या बीमा सेवा से संबंधित सेवा या ऐसी सेवा जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे से संबंधित विवाद आते हैं । उक्त स्थायी लोक अदालत के सामने ऐसे विवाद लाये जाते है

जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हों , इन विवादों का निराकरण आपसी समझाइश एवं समझौते के आधार पर लोक अदालतों के माध्यम से कराया जाता है। लोक अदालत का पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होता है तथा दो अन्य व्यक्ति जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग को सदस्य मनोनीत किया गया है।

वित्त वर्ष 2012–2013 (जनवरी,12 से दिसम्बर,12) की जानकारी :–

1– विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना :–

वित्त वर्ष 2012–2013 में (जनवरी,12 से दिसम्बर,12 तक) 8561 व्यक्तियों के प्रकरणों में विधिक सहायता एवं 59914 व्यक्तियों को विधिक सलाह प्रदान कर कुल 68475 व्यक्तियों को विधिक सहायता/विधिक सलाह के माध्यम से लाभांवित कराया गया है । जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित है ।

2– लोक अदालत :–

(अ) स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत – वित्त वर्ष 2012–2013 में (जनवरी,12 से दिसम्बर,12 तक) 1355 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 2821174 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर, पीड़ित पक्षकारों को राशि रूपये 6,63,64,09,168/– मुआवजा/डिक्री व अन्य राशि के रूप में प्रदाय कराई गई।

(ब) लोकोपयोगी सेवाओं के अर्न्तगत स्थाई लोक अदालत – उक्त अवधि में लोकोपयोगी सेवाओं की 125 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 33868 प्रकरणों का निराकरण कराया गया, जिसमें दिनांक 15/12/2012 को आयोजित मेगा लोक अदालत मे लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत निराकृत प्रकरण सम्मिलित है ।

(स) राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अर्न्तगत लोक अदालत– उक्त अवधि में 80 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 503737 प्रकरणों का निराकरण कराया गया, जिसमें दिनांक 15/12/2012 को आयोजित मेगा लोक अदालत में नरेगा के निराकृत प्रकरण सम्मिलित है ।

(द) जेल लोक अदालत – उक्त अवधि में केवल 48 जेल लोक अदालतें आयोजित की गई, जिसमें बंदियों के 51 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

3– विधिक साक्षरता शिविर :–

वित्त वर्ष 2012–2013 में उपरोक्त अवधि में कुल 3149 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जाकर 4,67,146 व्यक्तियों को विधिक जागरूक बनाया गया है ।

(अ) लघु विधिक साक्षरता शिविर :– वित्त वर्ष 2012–2013 में उक्त अवधि में 212 लधु विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर आयोजित किये जाकर 7427 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है ।

(ब) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत साक्षरता शिविर :–वित्त वर्ष 2012–2013 में उक्त अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 143 विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर आयोजित किये जाकर 7869 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है ।

4– पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :–

उपरोक्त अवधि में पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना द्वारा कुल 360 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए 674 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है ।

5–मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :–

उपरोक्त अवधि में ''मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना'' द्वारा कुल 482 रिमाण्ड/ जमानत प्रकरणों में विधिक सहायता प्रदान कराते हुए 512 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है ।

6— जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :—

वित्त वर्ष 2012—2013 में उपरोक्त अवधि में 3041 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए 4061 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है ।

7— लीगल एड क्लीनिक :—

उपरोक्त अवधि में ''लीगल एड क्लीनिक'' द्वारा कुल 1561 आवेदन पत्रों का निराकरण कराते हुए 1903 ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

8— महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई :—

उपरोक्त अवधि में ''महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई'' द्वारा कुल 184 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए 379 ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

9— श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ कार्यक्रम :—

उपरोक्त अवधि में ''श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ कार्यक्रम'' द्वारा कुल 112 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए 339 ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है ।

वित्त वर्ष 2011—2012 का वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि :—

वित्त वर्ष 2011—12 में विधिक सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित कार्यक्रमों विधिक सहायता/सलाह, लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, जिला विधिक परामर्श केन्द्र , पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र, जिला विधिक परामर्श केन्द्र, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना/कार्यक्रमों के लिये रूपये 2 करोड़ 79 लाख का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें सामान्य वर्ग के लिये 1 करोड़ 47 लाख 55 हजार, अनुसूचित जाति के लिये 64.25 लाख, अनुसूचित जनजाति के लिए 67.20 लाख, का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 2 करोड़ 79 लाख प्राप्त हुई । वित्त वर्ष 2011—12 में प्राप्त राशि में से राशि रूपये 2 करोड़ 79 लाख वित्त वर्ष में ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों को आवंटित की गई । जिसमें से 1 करोड़ 04 लाख 35 हजार 787 रूपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा व्यय किया गया ।

वित्त वर्ष 2012—2013 की वित्तीय उपलब्धियॉ :—

वित्त वर्ष 2012—2013 में गरीबों को कानूनी सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित कार्यक्रमों जैसे विधिक सहायता एवं उसके अंतर्गत क्रियान्वित लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, लीगल एड क्लीनिक, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ, लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत आदि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु रूपये 04 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें सामान्य योजना में रूपये 2 करोड़ 21 लाख, अनुसूचित जनजाति योजना में रूपये 94.00 लाख, अनुसूचित जाति में रूपये 85.00 लाख, का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत है । जिसके विरूद्ध वित्त वर्ष 2012—13 में सामान्य योजना में रूपये 1 करोड़ 10 लाख 50 हजार, अनुसूचित जनजाति योजना में रूपये 47.00 लाख, अनुसूचित जाति योजना में रूपये 42.00 लाख 50 हजार, माह दिसम्बर, 2012 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों को आवंटित की गई । जिसमें 44 लाख 55 हजार 842 रूपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा व्यय किया गया।

वित्त वर्ष 2012—2013 की विशिष्ट उपलब्धियॉ :—

माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद ए0 बोबड़े मुख्य न्यायाधिपति म0प्र0 उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण कुमार लाहोटी, प्रशासनिक न्यायाधिपति म0प्र0 उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में दिनांक 15 दिसम्बर 2012 (शनिवार) को प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालयो पर वृहद (मेगा)

लोक अदालत का आयोजन किया गया। विशेष मेगा लोक अदालत में सामान्य रूप से विभिन्न न्यायालयों, प्राधिकरणों आदि में विचाराधीन प्रकरणों प्रिलिटिगेशन के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों का निराकरण पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाता है, परंतु इस बार की मेगा लोक अदालत में लोगों के द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में सहायता प्राप्ति हेतु आवेदनों का भी शीघ्र निराकरण विधिक सहायता एवं सेवा के रूप में किये जाने का प्रयास किया गया था, इसके अंतर्गत शासन के पंचायत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास व अन्य विभागों को लोक अदालत विधिक सेवा अभियान के अंतर्गत शामिल करते हुये निर्देशित किया गया था कि वे अपने विभाग में सभी लंबित आवेदन जिसमें लोगों को शासन की योजनाओं के अंतर्गत सहायता एवं लाभ प्रदान करना है, उन्हें विधिक सहायता प्रकरण मानकर निराकृत करें और लोगों को शीघ्र अनुतोष प्रदान करें। यह प्रयास अत्यंत सफल रहा और लाखों की संख्या में लोगों को विधिक सहायता के रूप में शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ । प्रदेश स्तरीय वृहद् लोक अदालत में प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन सिविल, आपराधिक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अन्तर्गत चैक बाउंस, विद्युत अधिनियम एवं प्रिलिटिगेशन, मोटर दुर्घटना दावा प्लीबारगेनिंग, वैवाहिक, भरण—पोषण, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, भूअर्जन के लंबित/प्रिलिटिगेशन, श्रम, सहकारिता, बैंक प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, नगर निगम एवं नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत एवं वन अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त विभागों के प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

प्रदेश के समस्त 50 सिविल जिला एवं 139 तहसील स्थित न्यायालयों में आयोजित वृहद् (मेगा) लोक अदालत में आपसी समझौते एवं राजीनामा के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए प्रत्येक न्यायालयों की अलग—अलग खण्डपीठों का गठन किया गया था। पक्षकारों को लोक अदालत के महत्व की जानकारी दी गई एवं लोक अदालत से होने वाले लाभ से अवगत कराया गया। फलस्वरूप आपसी समझौते के आधार पर एक ही दिन में कुल 27,66,506 (सत्ताईस लाख छियासठ हजार पॉच सौ छः) प्रकरणों/आवेदनों/दावों का निराकरण हुआ। इसमें कुल 6,07,95,17,423 (छः अरब सात करोड़ पंचानवे लाख सत्रह हजार चार सौ तेईस) रूपये की धन राशि बतौर अनुतोष के रूप में, टैक्स के रूप में और शुल्क तथा मुआवजा/डिक्री/वसूली के रूप में प्राप्त हुई तथा 51,75,059 व्यक्ति लाभान्वित हुये।

मेगा लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों का विवरण इस प्रकार हैः—

1 लंबित सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण— उक्त मेगा लोक अदालत में 14182 सिविल प्रकरणों और 248228 आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया इस प्रकार कुल 262410 प्रकरण निराकृत किये गये।

2 जनोपयोगी सेवाओं, उपभोक्ता फोरम, श्रम न्यायालयों व मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कार्पोरेशन (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) के कुल 10349 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

3 प्रीलिटिगेशनः– प्रीलिटिगेशन वर्ग में परिवार न्यायालय, विद्युत, पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक, जनोपयोगी सेवाओं, उपभोक्ता फोरम व अन्य मामलों के कुल 422455 प्रकरणों का निराकरण कराया गया।

4 राजस्व न्यायालयों– में लंबित प्रकरणों विधिक सेवा हेतु प्राप्त विभिन्न आवेदनों के अंतर्गत कुल 795383 प्रकरणों/आवेदनों का निपटारा किया जाकर 1602725 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

5 गैस राहत प्रकरणः– भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के 1393 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर कुल 273700125 रूपये की क्षतिपूर्ति वितरित की गई जिससे 3465 लोगों को लाभान्वित किया गया।

6 सहकारिता संबंधी प्रकरणः– सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के 8598 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 1030763798 की लोन राशि वसूल की जाकर 14643 लोगों को लाभान्वित किया गया।

7 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतोंः– के संपत्ति कर एवं अन्य करों से संबंधित 286636 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 503042 लोगों को लाभान्वित किया गया जिसमें 196602350 रूपये कर/शास्ति वसूल की गई।

8 मोटर दुर्घटना दावाः– के कुल 7861 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 713673818 रूपये क्षतिपूर्ति अवार्ड राशि पारित की जाकर 19474 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

9 पराक्रम्य लिखत अधिनियमः– की धारा 138 अंतर्गत कुल 19351 लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 1194730095 रूपये की राशि अवार्ड के रूप में प्रदान की जाकर 36059 लोगों को लाभान्वित किया गया।

10 पारिवारिक एवं वैवाहिक लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणोंः– के अंर्तगत कुंल 1153 मामलों का निराकरण किया जाकर 2280 लोगों को लाभान्वित किया गया।

11 बैक प्रीलिटिगेशन के कुल 212642 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर 337015705 रूपये की लोन राशि की वसूली की गई और 373655 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

12 विद्युत के लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणोंः– के अंतर्गत कुल 149613 मामलों का निराकरण किया जाकर 693705223 रूपये विद्युत बिल/शास्ति की वसूली की गई और 255740 लोगों को लाभान्वित किया गया।

विधिक सेवाएंः–

(क) शिक्षा विभाग द्वारा मेगा लोक अदालत में विभिन्न आवेदनों व लंबित मामलों का निराकरण किया जाकर कुल 368101 आवेदनों को निराकृत किया जाकर कुल राशि 132334929 रूपये छात्रों/दावा कर्ताओं/आवेदकों को विभिन्न रूपों में लाभस्वरूप प्रदान की गई।

(ख) स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कुल 59534 आवेदनों का निराकरण किया जाकर राशि 65503615 रूपये 101212 व्यक्तियों में वितरित की जाकर लाभान्वित किया गया।

(स) वन विभाग द्वारा कुल 47982 आवेदनों का निराकरण किया जाकर राशि 594372 रूपये वितरित की गई, जिससे 81865 व्यक्ति लाभान्वित हुये ।

भविष्य की योजनाएं

केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त राशि में से नवीन न्यायालय भवनों, अतिरिक्त न्यायालय कक्षों तथा न्यायाधीशों के आवासगृहों का निर्माण किया जाना।

————00————